राजबीर सेहरावत, **न्यायाधीश** ***के समक्ष***

ज़िले सिंह- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य—*उत्तरदाता*

2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17945

नवम्बर 05/2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 227-रिट याचिका-हरियाणा सहकारी समिति नियम, 1989-आरएल। 27(च)-परिशिष्ट-क-सहकारी समिति का चुनाव-नामांकन पत्रों की अस्वीकृति-अयोग्य पाया गया-पिछले बारह महीनों से 'सक्रिय सदस्य' नहीं था-उचित जांच-नियमों की स्थिति - माना जाता है कि सोसायटी की गतिविधियों में याचिकाकर्ता की भागीदारी दिखाने के लिए कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया था - अन्य व्यक्तियों के हलफनामों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता का सक्रिय सदस्य बना हुआ है सोसाइटी को अपर्याप्त पाया गया - चूंकि सोसाइटी के 'सक्रिय सदस्य' होने की पात्रता शर्त नियमों में ही प्रदान की गई है, उप-नियम, जो इसके लिए प्रावधान नहीं करते हैं, इस विषय पर लागू राज्य नियमों द्वारा अधिक्रमित हो जाएंगे- आगे कहा गया, नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उचित जांच न करने का आरोप गलत था- परिशिष्ट-क के खंड 6 और 7 में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 'उचित समझी जाने वाली' जांच पर विचार किया गया है- उन्होंने प्रबंधक की उस रिपोर्ट पर सही भरोसा किया जिसमें पिछले बारह महीनों में सोसायटी के मामलों में याचिकाकर्ता की कोई भागीदारी नहीं होने का संकेत दिया गया था - अदालत जैसी कोई जांच आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी - याचिका खारिज कर दी गई।

और रूप यह स्वीकार करते हुए, याचिकाकर्ता ने पिछले 12 महीनों के दौरान सोसाइटी की गतिविधियों में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, हालांकि, वकील ने सोसाइटी के दो अन्य सदस्यों द्वारा दायर हलफनामों पर भरोसा किया है, जो अनुलग्नक पी -4 और पी -5 के रूप में संलग्न हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता पिछले 20-25 वर्षों से उनकी तरह सोसाइटी का सक्रिय सदस्य बना हुआ है और वे खरीद रहे हैं याचिकाकर्ता की सलाह के अनुसार, सोसायटी से उत्पादों को बेचना और सोसायटी के माध्यम से अपनी उपज बेचना। हालांकि, इनमें से कोई भी हलफनामा यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि क्या इनमें से किसी भी सदस्य ने याचिकाकर्ता के कहने पर पिछले 12 महीनों के भीतर सोसाइटी से कोई

सामग्री खरीदी या बेची है या सोसाइटी की किसी अन्य गतिविधि में भाग लिया है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में इनमें से किसी भी दस्तावेज को सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि सोसाइटी के उपनियम एलिग की किसी भी शर्त के लिए प्रदान नहीं करते हैंसदस्य के सोसायटी के 'सक्रिय सदस्य' होने के संबंध में। इसलिए इस आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जा सकती थी। हालांकि, यह अदालत पाती है कि उक्त शर्त नियमों में ही शामिल है। इसलिए, इस मुद्दे पर, जाहिर है, सोसाइटी के उपनियमों को इस विषय पर लागू राज्य नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अन्यथा भी सोसायटी के नियमों और उपनियमों के उपबंध में कोई विरोधाभास नहीं है। यहां तक कि सोसाइटी के उपनियम भी विशेष रूप से सोसायटी के सक्रिय सदस्य के बिना किसी व्यक्ति को चुनाव के लिए योग्य नहीं बनाते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क को भी केवल खारिज करने योग्य माना जा सकता है।

(पैरा 6)

आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता के वकील ने सोसायटी नियमों और उसके खंड 6 और 7 से जुड़े परिशिष्ट-ए पर भी भरोसा किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने से पहले उपरोक्त खंड 6 और 7 द्वारा अपेक्षित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कोई उचित जांच नहीं की गई थी। उन्होंने केवल सोसायटी के प्रबंधक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने पिछले 12 महीनों के दौरान कोई लेनदेन नहीं किया है। प्रबंधक से रिपोर्ट प्राप्त करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, रिटर्निंग अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट पर गलत भरोसा किया। हालाँकि, यह न्यायालय इस तर्क को भी किसी भी योग्यता से रहित पाता है। खंड 6 और 7 के अवलोकन से पता चलता है कि जांच, जैसा कि खंड 7 द्वारा विचार किया गया है; क्या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच 'जैसा उचित समझा गया' है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पिछले 12 महीनों के दौरान सोसायटी की गतिविधियों में याचिकाकर्ता की गैर-भागीदारी के लिए प्रबंधक से प्राप्त एक रिपोर्ट पर भरोसा किया है। सोसायटी के प्रबंधक की ऐसी रिपोर्ट पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरोसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। बल्कि, सोसाइटी का प्रबंधक सोसाइटी की गतिविधियों में किसी भी सदस्य की भागीदारी को सत्यापित करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। रिटर्निंग अधिकारी, किसी भी तरह से, एक उम्मीदवार के नामांकन पर विचार करने के उद्देश्य से अदालत जैसी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, यह याचिकाकर्ता का मामला भी नहीं है कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके नामांकन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को

अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक वैध कारण दिया गया है।

(पैरा 7)

लाजपत शर्मा, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए।*

रूपिंदर सिंह झंड, एडिशनल एजी, हरियाणा।

राजबीर सहरावत, न्यायाधीश (मौखिक)

(एक) वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उत्प्रेषण या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए दायर की गई है, जिससे 21.10.2020 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-3) को रद्द कर दिया गया है, जिसके माध्यम से प्रतिवादी नंबर 3 ने सहकारी समिति के चुनाव में याचिकाकर्ता के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया है।

(दो) सुनवाई की अंतिम तिथि पर राज्य को अन्य सदस्यों की भागीदारी के कुछ दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया था, जिनका नामांकन चुनाव के लिए स्वीकार किया गया है, सफीदोन सहकारी विपणन-सह-प्रसंस्करण सोसायटी लिमिटेड, सफीदोन, तहसील सफीदोन, जींद (संक्षेप में, 'सोसायटी') की गतिविधियों में।

(तीन) राज्य के वकील ने हालांकि उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर नहीं रखा है, हालांकि, इसे वकील द्वारा ऑनलाइन रखा गया है। इसकी प्रति याचिकाकर्ता के वकील को भी दी गई है।

(चार) राज्य के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से उठाया है। उन्हें चुनाव लड़ने का समान अवसर दिया गया; अपनी पात्रता दिखाकर; नियमों के अनुसार। हालांकि, याचिकाकर्ता नामांकन पत्र दाखिल करने के समय अपनी पात्रता दिखाने में विफल रहा। उन्होंने यह दिखाने के लिए कुछ भी संलग्न नहीं किया था कि वह पिछले 12 महीनों में सोसायटी के सक्रिय सदस्य रहे हैं, जैसा कि हरियाणा सहकारी समिति नियम, 1989 (संक्षेप में, 'सोसायटी नियम') के नियम 27 (एफ) के तहत आवश्यक है। इसलिए नामांकन पत्र खारिज किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अधिकारियों ने सोसाइटी के सक्रिय सदस्य होने का कोई दस्तावेजी प्रमाण दिखाए बिना दूसरे उम्मीदवार, अर्थात् सतबीर के नामांकन को गलत तरीके से स्वीकार किया है; यह पूरी तरह से गलत है। उक्त उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल करने की तारीख से पहले सोसायटी से सामग्री खरीदने के लिए विधिवत दस्तावेज संलग्न किया था। इसलिए, उनके नामांकन को सही तरीके से स्वीकार किया गया था।

(पाँच) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सोसायटी नियमों के नियम 27 (एफ) में सोसायटी से या उसके लिए किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री के किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। उक्त नियम के तहत एकमात्र आवश्यकता यह है कि व्यक्ति को सोसाइटी का 'सक्रिय सदस्य' होना चाहिए, जो याचिकाकर्ता बना हुआ है। इसलिए, याचिकाकर्ता भी पात्र था।

(छः) माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने पिछले 12 महीनों के दौरान सोसाइटी की गतिविधियों में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, हालांकि, वकील ने सोसाइटी के दो अन्य सदस्यों द्वारा दायर हलफनामों पर भरोसा किया है, जो अनुलग्नक पी -4 और पी -5 के रूप में संलग्न हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता पिछले 20-25 वर्षों से उनकी तरह सोसाइटी का सक्रिय सदस्य बना हुआ है और वे खरीद रहे हैं याचिकाकर्ता की सलाह के अनुसार, सोसायटी से उत्पाद और सोसायटी के माध्यम से अपनी उपज बेचना। हालांकि, इनमें से कोई भी हलफनामा यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि क्या इनमें से किसी भी सदस्य ने याचिकाकर्ता के कहने पर पिछले 12 महीनों के भीतर सोसाइटी से कोई सामग्री खरीदी या बेची है या सोसाइटी की किसी अन्य गतिविधि में भाग लिया है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में इनमें से किसी भी दस्तावेज को सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि सोसाइटी के उपनियम सदस्य के सोसाइटी के 'सक्रिय सदस्य' होने के संबंध में पात्रता की किसी भी शर्त का प्रावधान नहीं करते हैं। इसलिए इस आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जा सकती थी। हालांकि, यह अदालत पाती है कि उक्त शर्त नियमों में ही शामिल है। इसलिए, इस मुद्दे पर, जाहिर है, सोसाइटी के उपनियमों को इस विषय पर लागू राज्य नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अन्यथा भी सोसायटी के नियमों और उपनियमों के उपबंध में कोई विरोधाभास नहीं है। यहां तक कि सोसाइटी के उपनियम भी विशेष रूप से सोसायटी के सक्रिय सदस्य के बिना किसी व्यक्ति को चुनाव के लिए योग्य नहीं बनाते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क को भी केवल खारिज करने योग्य माना जा सकता है।

(सात) याचिकाकर्ता के वकील ने सोसायटी नियमों और उसके खंड 6 और 7 से जुड़े परिशिष्ट-ए पर भी भरोसा किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने से पहले उपरोक्त खंड 6 और 7 द्वारा अपेक्षित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कोई उचित जांच नहीं की गई थी। उन्होंने केवल सोसायटी के प्रबंधक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने पिछले 12 महीनों के दौरान कोई लेनदेन नहीं किया है। प्रबंधक से रिपोर्ट प्राप्त करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, रिटर्निंग अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट पर गलत भरोसा किया। हालाँकि, यह

न्यायालय इस तर्क को भी किसी भी योग्यता से रहित पाता है। खंड 6 और 7 के अवलोकन से पता चलता है कि जांच, जैसा कि खंड 7 द्वारा विचार किया गया है; क्या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच 'जैसा उचित समझा गया' है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पिछले 12 महीनों के दौरान सोसायटी की गतिविधियों में याचिकाकर्ता की गैर-भागीदारी के लिए प्रबंधक से प्राप्त एक रिपोर्ट पर भरोसा किया है। सोसायटी के प्रबंधक की ऐसी रिपोर्ट पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरोसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। बल्कि, सोसाइटी का प्रबंधक सोसाइटी की गतिविधियों में किसी भी सदस्य की भागीदारी को सत्यापित करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। रिटर्निंग अधिकारी, किसी भी तरह से, एक उम्मीदवार के नामांकन पर विचार करने के उद्देश्य से अदालत जैसी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, यह याचिकाकर्ता का मामला भी नहीं है कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके नामांकन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक वैध कारण दिया गया है।

(आठ) सब कुछ एक तरफ रखते हुए, इस अदालत ने याचिकाकर्ता को अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ भी दिखाने का अवसर दिया था कि उसने पिछले 12 महीनों के दौरान सोसायटी की किसी भी गतिविधि में भाग लिया था। हालांकि, वह सोसाइटी द्वारा आयोजित या उससे संबंधित किसी भी गतिविधि या किसी भी गतिविधि में किसी भी भागीदारी को साबित करने में विफल रहा है जिसे सोसाइटी के रिकॉर्ड से परिलक्षित किया जा सकता है। सोसाइटी की किसी भी गतिविधि में याचिकाकर्ता की भागीदारी रिकॉर्ड से परिलक्षित नहीं होती है; यहां तक कि याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार। याचिकाकर्ता का एकमात्र दावा यह है कि वह सोसाइटी की गतिविधियों में भाग लेने, सोसाइटी से सामग्री खरीदने और सोसाइटी के माध्यम से उपज बेचने के लिए क्षेत्र के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से संपर्क कर रहा है और सलाह दे रहा है। हालांकि, ऐसा दावा, जो किसी भी रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं है, अदालत द्वारा वैधानिक चुनाव लड़ने के लिए याचिकाकर्ता को पात्रता प्रदान करने के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि चुनाव प्रक्रिया में इस तरह के मौखिक दावे की अनुमति दी जाती है, तो चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित निर्धारित सभी शर्तें पूरी तरह से निरर्थक हो जाएंगी।

(नौ) हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने 1972 के 1848 में ***पारित इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया*** है, जिसका शीर्षक ***पर्मा हैंड*** बनाम

पंजाब राज्य और अन्य है, जो 01.11.1972 को पारित किया गया था, यह प्रस्तुत करने के लिए कि उम्मीदवार के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने से पहले एक जांच की जानी चाहिए, हालांकि, यह निर्णय भी याचिकाकर्ता की मदद के लिए नहीं आता है। जांच से संबंधित परिशिष्ट-ए हरियाणा राज्य के नियमों से जुड़ा हुआ है और उक्त निर्णय के बहुत बाद का है। इसके अलावा, हालांकि नियमों में ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच करने का प्रावधान है, तथापि, उक्त जांच को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले जांच के रूप में होना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच करके और संबंधित सामग्री को रिकॉर्ड में लेकर, साथ ही, याचिकाकर्ता के नामांकन को अस्वीकार करने के लिए एक तर्कसंगत आदेश देकर नियम की आवश्यकता को पहले ही पूरा किया जा चुका है।

(दस) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया था।

(ग्यारह) उपरोक्त के मद्देनजर, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिकअधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

अंबाला,हरियाणा